न्यायालय माध्यस्थम् अधिकारी (जिला कलक्टर), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – तारा चन्द मीणा (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
011/2018(रा.अ.) (GCMS 2018/00079)	04.04.2018	02.11.2021

अनवान

नन्दुदेवी पत्नि नन्दा जाट आयु वयस्क निवासी भुवानीपुरा तहसील गंगरार जिला चितौडगढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार जरिये भारती राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पी. आई. यू. रोड नंबर 5 सेंती उदयपुर (राज.)।

विपक्षी

उपस्थिति :- चम्पालाल जाट — अधियक्ता प्रार्थी

मुकुट बिहारी दाधीच — अधियक्ता विपक्षी

प्रार्थना पत्र आर्बिट्रेशन प्रकरण संख्या 8/2011 किस्म मुकदमा भूमि अर्जन निर्णय व अवार्ड दिनांक 03.11.2015 रिवाईज्ड अवार्ड दिनांक 21.04.2016 एवं पुनः रिवाईज्ड अवार्ड दिनांक 03.02.2017 एवं संशोधित आदेश दिनांक 14.06.2017

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं प्रार्थीया/अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3G(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा भूमि अवाप्ति के दौरान मुआवजा निर्धारण हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों को लागू किया गया हैं। सक्षम अधिकारी द्वारा विधि अनुसार उक्त एक्ट के मेन्डेटरी प्रावधानों की पालना करते हुए अवार्ड जारी किया जाना चाहिये तथा जो जारी नहीं किया गया हैं। प्रार्थी की ग्राम भवानीपुरा तहसील गंगरार की खसरा नंबर 28/437 व्यवसायिक भूमि जिसका नाप 0.02 हैक्टर है एवं वर्गफीट में नाप 2152 वर्गफीट हैं। अधिनियम 2013 की धारा 26(1) की उपधारा (क) उस क्षेत्र की जहां भूमि स्थित हैं, यथास्थिति विक्रय विलेख या विक्रय करार के रजिस्ट्रीकरण के लिये भारतीय स्टॉम्प अधिनियम 1899 में विनिर्दिष्ट बाजार मूल्य दिनांक 15.01.2010 को 572/- रुपये प्रति वर्गफीट होने से कुल क्षेत्रफल 2152 वर्गफीट भूमि का बाजार मूल्य 1230944/- रूपये हैं। अधिनियम 2013 की धारा 26(2) अनुसार मार्केट वेल्यू को 1.50 से गुणित करने पर यह राशि

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

1846416/- रूपये बनता है। प्रार्थी इस प्रकार प्रार्थी की इच्छा के विरूद्ध भूमि अवाप्ति के कारण यह राशि पाने का अधिकारी है। प्रार्थी इस प्रकार वर्णित राशि 1846416/- रूपये एवं आवेदन में वर्णित राशि 1230944/- कुल 3077360/- रूपये मार्केट वेल्यू एवं 26(2) के अन्तर्गत अतिरिक्त राशि पाने का अधिकारी हैं। प्रार्थीया की भूमि पर 11170/- रूपये के वृक्ष है। यह कीमत भी पाने की अधिकारी हैं। प्रार्थी का सम्पूर्ण प्रतिकर वृक्षों की कीमत 11170/- रूपये सम्मिलित हैं देय हैं। प्रार्थी अधिनियम संख्या 13 की धारा 30 अनुसार शतप्रतिशत प्रतिकर की रकम के समतुल्य तोषण की रकम पाने का अधिकारी हैं। इस प्रकार प्रतिकर एवं तोषण राशि 3088530/- रूपये कुल योग 6177060/- रूपये पाने का अधिकारी हैं। भूमि की मूल मार्केट वेल्यू 1230944/- रूपये हैं। भूमि अवाप्ति की उद्घोषणा 15.01.2010 को प्रथम बार जारी हुई एवं इस भूमि का संशोधित अवार्ड दिनांक 14.06.2017 को जारी किया गया। अधिनियम 13 की धारा 30(3) अनुसार 12 प्रतिशत वार्षिक अतिरिक्त राशि भी पाने का अधिकारी हैं। इस प्रकार से प्रार्थी 1230944/- रूपये पर दिनांक 15.01.2010 उद्घोषणा दिनांक से संशोधित अवार्ड दिनांक 14.06.2017 तक के 89 माह के 1095540/- रूपये पाने का अधिकारी है। इस प्रकार प्रार्थीया कुल मुआवजा 7272600/- रूपये पाने का अधिकारिणी हैं। माननीय सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 26 एवं 28 में निर्धारित मानदण्ड का ध्यान नहीं रखा। प्रार्थी को बाजार मूल्य का अवार्ड ही पारित नहीं किया जबकि धारा 28 पहले प्रोविजन में ही स्पष्ट प्रावधान किया कि अवधारित मूल्य और पहली अनुसूची व दूसरी अनुसूची के अनुसार अवार्ड पारित करेगी। विधि अनुसार प्रार्थी को अवार्ड की प्रति जारी की जानी चाहिये थी, जारी ही नहीं की गई, मनमर्जी से अवार्ड पारित किया, संशोधित किया गया एवं तत्पश्चात् संशोधित अवार्ड की प्रति प्रार्थीगण को जारी की जानी चाहिये, अवार्ड पर प्रति भेजना अंकित किया लेकिन कभी भेजी ही नहीं गई, मनमर्जी से पारित संशोधित अवार्ड की 4061168/- रूपये की राशि प्रार्थी के खाते में भेजी इसकी सूचना भी नहीं दी। प्रार्थी को पता चला आधिवक्ता से मिल निर्णय व अवार्ड की नकले ली तब इसका अधिवक्ता को पता चला अतः तुरन्त ही आवेदन प्रस्तुत हैं। सक्षम अधिकारी द्वारा विधि अनुसार निर्णय व अवार्ड पारित नहीं किया। प्रार्थी की भूमि का मुआवजा तय किया जाना न्यायोचित हैं। अंत में प्रार्थना की गई कि आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की भूमि का सम्पूर्ण रूप से मुआवजा तय किया जावें।

इस पर प्रार्थी के आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 15.05.2018 को विपक्षी की ओर से उनके अधिवक्ता हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली हैं। दिनांक 23.07.2019 को अधिवक्ता विपक्षी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर हैं। दिनांक 22.10.2019 को प्रार्थी की और

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब विपक्षी की और से दिनांक 11.02.2020 को पेश किया गया जो शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

दिनांक 02.11.2021 को उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर आये एवं बहस पत्रावली का निवेदन किया गया। विपक्षी द्वारा अपने जवाब प्रार्थना में मियाद के प्रश्न को उठाया गया है। इस पर प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र 22.10.2019 द्वारा मियाद के संबंध में कथन किया गया, प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र का विपक्षी द्वारा दिनांक 11.02.2020 को जवाब प्रस्तुत किया गया हैं जो कि रिकार्ड पर होकर पत्रावली पर उपलब्ध हैं। ऐसी स्थिति में उभयपक्ष को सर्व प्रथम उक्त प्रार्थना पत्र पर सुना गया। इस पर उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र को उभयपक्ष सुना गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत प्रश्नगत भूमि का संशोधित अवार्ड दिनांक 14.06.2017 को पारित किया। उक्त अवार्ड को पारित करते समय प्रार्थी उपस्थित नहीं था एवं प्रार्थी का कोई प्रतिनिधि भी सक्षम अधिकारी के यहां उपस्थित नहीं था। अधिनियम 13 धारा 37(2) अनुसार तत्काल सूचना नहीं दी गई। यहां तक कि अब तक प्रतिलिपि सूचनार्थ नहीं भेजी हैं।

इस पर विद्वान अधिवक्ता विपक्षी ने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि अधिनियम की धारा 13 एवं 37(2) धारा 12 में हुए भूमि के प्रारम्भिक सर्वेक्षण करने की शाक्तियों के संबंध में हैं। उसमें सरकार द्वारा निमित साधारणतया या विशेषतया प्राधिकृत व्यक्ति प्राधिकृत किया गया हो तथा उसमें सेवकों और कर्मकारों के कृत्य से भूस्वामी को अधिकृत व्यक्तियों द्वारा सर्वेक्षण के दौहरान हुई क्षति में प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे नुकसान की भरपाई से भूस्वामी यदि असहमत हैं तो धारा 13 में नुकसानी के लिए संदाय कर सकता है। धारा 13 एवं 37(2) में उस नुकसानी की सूचना आहत/प्रभावी पक्षकार को नुकसानी का प्रार्थना पत्र पेश करने के उपरांत हितबद्ध व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं के उपरांत सूचित करने के संबंध में हैं। प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण संख्या 08/2011 में स्वयं उपस्थित हो अपनी आपत्तिया दर्ज करा चुका हैं एवं अधिवक्ता चम्पालाल जाट के द्वारा अपनी उपस्थिति अधीनस्थ न्यायायल में दी उसके पश्चात प्रार्थी अधिवक्ता निरन्तर प्रत्येक पेशी तारीख पर उपस्थित रहे हैं। प्रार्थी को एवं उसके अधिवक्ता को उक्त अवार्ड आदेश दिनांक 14.06.2017 की जानकारी पूरी तरत से थी प्रार्थी के द्वारा न्यायालय आप में अपना मूल प्रार्थना पत्र दिनांक 20.03.2018 को पेश किया हैं तथा अपने उक्त प्रार्थना पत्र के साथ दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया गया हैं। मूल प्रार्थनापत्र को मयाद में लाने के लिए प्रार्थनापत्र पेश किया है एवं

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

प्रार्थना पत्र के अन्त में अनुतोष में भी मूल प्रार्थना पत्र को अन्दर मयाद माने जाने का कथन किया गया है जो कतई न्याय संगत नहीं है। अतः प्रार्थना है कि जवाब विपक्षी स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी को उक्त मयाद प्रार्थनापत्र खारीज फरमाया जावे साथ ही मूल प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अवार्ड दिनांक से लगभग 9 माह बाद पेश किये जाने से मयाद बाहर होने के कारण खारीज फरमाया जावें।

बहस प्रार्थना पत्र के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने बताया कि अवार्ड का वास्तविक ज्ञान अवार्ड की प्रति दिनांक 07.02.2018 को प्राप्त करने एवं पढ़ने पर ही पता चला कि अवार्ड विधि अनुसार नहीं है अवार्ड का अध्ययन करने पर पता चला कि अवार्ड विधि अनुसार नहीं है तुरन्त ही अवार्ड प्राप्त होने पश्चात आर्बिट्रेटर को आवेदन पेश किया गया है। कोई देरी नहीं है विधि अनुसार आर्बिट्रेटर को आवेदन पेश किया गया है। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस प्रार्थना पत्र समाप्त की।

हमने पत्रावली को अवलोकन किया। मियाद प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस मियाद प्रार्थना पत्र का मनन किया। प्रकरण में मियाद के साथ-साथ गुणवगुण पर भी देखा जाना उचित प्रतीत होता है, अतः प्रार्थना पत्र के निर्णय को रिवर्ज करते हुये पत्रावली को गुणावगुण पर सुनने के आदेश दिये गये।

इस पर उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पत्रावली को उभयपक्ष सुना गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा भूमि अवाप्ति के दौरान मुआवजा निर्धारण हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों को लागू किया गया है। सक्षम अधिकारी द्वारा विधि अनुसार उक्त एक्ट के मेन्डेटरी प्रावधानों की पालना करते हुए अवार्ड जारी किया जाना चाहिये तथा जो जारी नहीं किया गया है। प्रार्थी की ग्राम भवानीपुरा तहसील गंगरार की खसरा नंबर 28/437 व्यवसायिक भूमि जिसका नाप 0.02 हैक्टर है एवं वर्गफीट में नाप 2152 वर्गफीट है। अधिनियम 2013 की धारा 26(1) की उपधारा (क) उस क्षेत्र की जहां भूमि स्थित है, यथास्थिति विक्रय विलेख या विक्रय करार के रजिस्ट्रीकरण के लिये भारतीय स्टॉम्प अधिनियम 1899 में विनिर्दिष्ट बाजार मूल्य दिनांक 15.01.2010 को 572/- रूपये प्रति वर्गफीट होने से कुल क्षेत्रफल 2152 वर्गफीट भूमि का बाजार मूल्य 1230944/- रूपये है। अधिनियम 2013 की धारा 26(2) अनुसार मार्केट वेल्यू को 1.50 से गुणित करने पर यह राशि 1846416/- रूपये बनता है। प्रार्थी इस प्रकार प्रार्थी की इच्छा के विरुद्ध भूमि अवाप्ति के कारण यह राशि पाने का अधिकारी है। प्रार्थी इस प्रकार वर्णित राशि 1846416/- रूपये एवं आवेदन में वर्णित राशि 1230944/- कुल 3077360/- रूपये मार्केट वेल्यू एवं 26(2) के

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

अन्तर्गत अतिरिक्त राशि पाने का अधिकारी है। प्रार्थीया की भूमि पर 11170/- रूपये के वृक्ष है। यह कीमत भी पाने की अधिकारी है। प्रार्थी का सम्पूर्ण प्रतिकर वृक्षों की कीमत 11170/- रूपये सम्मिलित है देय है। प्रार्थी अधिनियम संख्या 13 की धारा 30 अनुसार शतप्रतिशत प्रतिकर की रकम के समतुल्य तोषण की रकम पाने का अधिकारी है। इस प्रकार प्रतिकर एवं तोषण राशि 3088530/- रूपये कुल योग 6177060/- रूपये पाने का अधिकारी है। भूमि की मूल मार्केट वेल्यू 1230944/- रूपये है। भूमि अवाप्ति की उद्घोषणा 15.01.2010 को प्रथम बार जारी हुई एवं इस भूमि का संशोधित अवार्ड दिनांक 14.06.2017 को जारी किया गया। अधिनियम 13 की धारा 30(3) अनुसार 12 प्रतिशत वार्षिक अतिरिक्त राशि भी पाने का अधिकारी है। इस प्रकार से प्रार्थी 1230944/- रूपये पर दिनांक 15.01.2010 उद्घोषणा दिनांक से संशोधित अवार्ड दिनांक 14.06.2017 तक के 89 माह के 1095540/- रूपये पाने का अधिकारी है। इस प्रकार प्रार्थीया कुल मुआवजा 7272600/- रूपये पाने का अधिकारिणी है।

इस पर विद्वान अधिवक्ता विपक्षी ने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि भूमि अर्जन अधिकारी द्वारा विधि अनुसार भूमि अवाप्ति अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों की पालना करते हुए नियमानुसार अवार्ड जारी किया गया है। प्रार्थी की उसकी व्यवसायिक 2152 वर्गफीट भूमि का 572/- रूपये प्रति वर्गफीट से 1230944/- रूपये से ही गणना की गई है। प्रार्थी अधिनियम 2013 की धारा 26(2) के अनुसार राज्य सरकार के आदेश दिनांक 16.10.2014 के अनुसार अवाप्त की जाने वाली भूमि की दर की 1.5 से गुणांक कर भुगतान किया गया परन्तु अवाप्ताधिन भूमि पर ब्याज की गणना डीएलसी दर पर की गई है एवं उसका भुगतान भी प्रार्थी को कर दिया गया है। प्रार्थी ने उक्त कॉलम में 1.5 की जगह 2.5 से गुणांक की राशि की मांग की गई है जो स्वीकार नहीं है। प्रार्थी द्वारा वृक्षों की कीमत 11170/- रूपये की मांग की गई है वह प्रार्थी को अवार्ड में जोड कर दी जा चुकी है। प्रार्थी को अधिनियम की धारा 26(2) के तहत डीएलसी की दर से **572 X 2152 = 1230944/- X 1.5 = 1846416/-** + वृक्षों की कीमत 11170/- = **1857586/-** रूपये पर 100 प्रतिशत राशि 1857586/- जोडी जाकर अधिनियम की धारा 30(3) के तहत 15.01.2010 से 03.11.2015 तक 2118 दिन का भूमि के बाजार मूल्य पर देय ब्याज की राशि 12 प्रतिशत की गणना करते हुए भुगतान किया गया है जो विध सम्मत है। प्रार्थी को 15.01.2010 उद्घोषणा की दिनांक से अवाप्तधीन भूमि की डीएलसी की दर 1230944/- में 11170/- के वृक्षों की कीमत को जोडते हुए 1242114/- रूपये पर 12 प्रतिशत ब्याज प्रथम अवार्ड दिनांक 03.11.2015 जारी होने की दिनांक तक नियमानुसार दिया गया है। प्रार्थी ने अत्यधिक मुआवजा राशि प्राप्त करने के लिए लोभ वश अत्यधिक राशि मांग की है जो अस्वीकार है। भूमि अर्जन अधिकारी द्वारा जब जब भी संशोधित अवार्ड

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

जारी किये गये उसकी प्रति प्रार्थी को नियमानुसार जारी की गई। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित राशि 4054271/– रूपये पर टीडीएस काटते हुए भुगतान किया हैं। प्रार्थी के खाते में राशि कब आई उसका भी प्रार्थना पत्र में उल्लेख नहीं किया गया हैं। प्रार्थी ने दिनांक 30.10.2017 को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित हो अपने बैंक खाते का विवरण हेतु व पेन कार्ड की प्रति अवार्ड राशि के भुगतान प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत की एवं उस भुगतान को सहर्ष स्वीकार किया अब अत्यधिक राशि प्राप्त करने की लालसा से यह मिथ्या प्रार्थना पत्र माननी न्यायालय आप में पेश किया। प्रार्थी को अवार्ड का पता कब जमीन के नकल ली इस बाबत् कोई दिनांक अपने प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं की हैं। प्रार्थी ने लगभग 300 से अधिक दिन पश्चात् प्रार्थना पत्र पेश किया हैं जो मियाद से बाहर होने से खारीज किये जाने योग्य हैं। प्रार्थी ने न तो दफा 5 का प्रार्थना पत्र अपने प्रार्थना पत्र की ताईद में और ना ही शपथ पत्र पेश किया हैं। इस कारण से भी प्रार्थना पत्र खारीज योग्य हैं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्त की जा रही भूमि के संबंध में संबंधित दस्तावेजात राजस्व रेकार्ड उसकी डीएलसी की दर का एवं संबंधित राजस्व अधिकारियों की भौतिक मौका रिपोर्ट का सम्यक अध्ययन करने के उपरांत सक्षम अधिशाषी अभियंता से उसका सत्यापन कराने के उपरांत ही प्रार्थी को उसकी अवाप्त की जा रही भूमि का विधि सम्मत तरीके से अवार्ड राशि गणना कर अवार्ड जारी किया गया हैं जो न्यायोचित हैं। प्रार्थी को ब्याज का भुगतान धारा 30(3) के तहत 12 प्रतिशत एवं धारा 30(ए) समाचार पत्र में प्रकाशन की तारीख से अधिनियम की धारा 28(बी) की पालना करते हुए ब्याज की गणना की गई हैं जो सही हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारीज योग्य हैं। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता विपक्षी ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की।

बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने बताया कि माननीय सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 26 एवं 28 में निर्धारित मानदण्ड का ध्यान नहीं रखा। प्रार्थी को बाजार मूल्य का अवार्ड ही पारित नहीं किया जबकि धारा 28 पहले प्रोविजन में ही स्पष्ट प्रावधान किया कि अवधारित मूल्य और पहली अनुसूची व दूसरी अनुसूची के अनुसार अवार्ड पारित करेगी। विधि अनुसार प्रार्थी को अवार्ड की प्रति जारी की जानी चाहिये थी, जारी ही नहीं की गई, मनमर्जी से अवार्ड पारित किया, संशोधित किया गया एवं तत्पश्चात् संशोधित अवार्ड की प्रति प्रार्थीगण को जारी की जानी चाहिये, अवार्ड पर प्रति भेजना अंकित किया लेकिन कभी भेजी ही नहीं गई, मनमर्जी से पारित संशोधित अवार्ड की 4061168/– रूपये की राशि प्रार्थी के खाते में भेजी इसकी सूचना भी नहीं दी। प्रार्थी को पता चला आधिवक्ता से मिल निर्णय व अवार्ड की नकले ली तब इसका अधिवक्ता को पता चला अतः तुरन्त ही आवेदन प्रस्तुत है। सक्षम अधिकारी द्वारा विधि अनुसार निर्णय व अवार्ड पारित नहीं किया। प्रार्थी की भूमि का मुआवजा तय किया

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

जाना न्यायोचित है। अंत में प्रार्थना की गई कि आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की भूमि का सम्पूर्ण रूप से मुआवजा तय किया जावें। अंत में प्रार्थना की गई कि आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की भूमि का सम्पूर्ण रूप से मुआवजा तय किया जावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अपीलांट ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र, बहस पत्रावली का चिंतन-मनन किया गया। पत्रावली को वास्ते निर्णय हेतु रखा गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। सक्षम प्राधिकारी अतिरिक्त कलक्टर(प्रशासन) से प्राप्त मूल अभिलेख का गहनता पूर्वक परिशीलन/अध्ययन किया। हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ कार्यालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ सक्षम प्राधिकारी द्वारा सर्वसाधारण के सूचनार्थ दो स्थानीय समाचार पत्रों क्रमशः दैनिक भास्कर एवं दैनिक नवज्योति में दिनांक 15.01.2010 को प्रकाशन कराया है तथा प्रार्थी को अवाप्ति में आने वाली भूमि के संबंध में अपना क्लेम/दावा प्रस्तुत करने हेतु सूचना पत्र भी जारी किये गये हैं तथा प्रार्थी/अपीलार्थी दिनांक 04.05.2011 को मार्फत अधिवक्ता रतनलाल जाट के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित हुआ एवं प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा अवाप्तिधीन भूमि के मुआवजा निर्धारण के संबंध में अपना क्लेम प्रस्तुत किया गया जो कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर जहां तक कोई निरीक्षण, सर्वे, मेजरमेन्ट, वेल्यूऐशन व इन्क्वायरी नहीं करने का प्रश्न है राजस्व अधिकारियों एवं एन.एच. के अधिकारियों द्वारा मौके पर भौतिक सत्यापन किया गया जिनका सत्यापन/प्रमाणीकरण संबंधित कार्यपालक इंजीनियर, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड चित्तौड़गढ़ द्वारा किया गया है। हमने अधीनस्थ कार्यालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी की भूमि ग्राम भुवानीपुरा में स्थित होकर खसरा नम्बर 28/437 रकबा 0.02 हैक्टेयर किस्म व्यवसायिक होकर राजस्व रेकार्ड में उक्त भूमि व्यवसायिक में दर्ज रही है। अधीनस्थ सक्षम प्राधिकारी की पत्रावली में उप पंजीयक, गंगरार द्वारा भूमि की दरों का जो विवरण प्रस्तुत किया है उसमें स्पष्ट रूप से ग्राम भुवानीपुरा की व्यवसायिक दर 572/- रूपये प्रति वर्गफीट दर्शाई गई है तथा प्रार्थी को उसकी व्यवसायिक भूमि का उसी अनुसार ही सक्षम प्राधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा व्यवसायिक दर से अधिनियम, 2013 अनुसार मुआवजा भुगतान किया गया है। जहां तक प्रार्थी का वर्तमान बाजार मूल्य गुणांक से मुआवजा दिलाये जाने का कथन है। इस संबंध में राज्य सरकार के पत्रांक प.2(99) वित्त/कर/2010 दिनांक 24.01.2011 के आधार पर जिन ग्रामों में एन.एच. से लगी हुई भूमियों की दरें निर्धारित नहीं है उन ग्रामों में

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, एवं मेघा हाईवे से लगते हुए खसरा नम्बरों की भूमि जो हाईवे से 100 मीटर गहराई तक सामान्य कृषि भूमि की दर (डीएलसी) का तीन गुना तथा 100 से 200 मीटर गहराई तक 2 गुना दर से मालियत का प्रावधान किया गया है जबकि राजस्व रेकार्ड अनुसार हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की भूमि कृषि भूमि नहीं होकर व्यवसायिक दर्ज होना निर्विवादित है। इसके अतिरिक्त जहां तक निर्माण/संरचनाओं का मुआवजा कम देने/नहीं देने का प्रश्न है, राजस्व अधिकारियों एवं एन.एच. के अधिकारियों द्वारा मौके पर भौतिक सत्यापन किये जाने के पश्चात् अवाप्ताधीन भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं का मुआवजा निर्धारण किया गया है तथा प्रार्थी को उसकी भूमि की किस्म अनुसार व्यवसायिक दर से मुआवजा राशि का भुगतान किया जाना जारी अवार्ड आदेश से प्रतिवेदित है। अधीनस्थ सक्षम प्राधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा हस्तगत प्रकरण में जो अवार्ड जारी किया है वह भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसार धारा 26 से 30 तक में किए गए प्रावधानों के अनुसार ही जारी किया गया है जिसमें धारा 26 (2) के तहत अवाप्तशुदा भूमि की बाजार दर को पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट कारक से गुणांक कर भुगतान किया गया है तथा अधिनियम, 2013 की धारा 30(1) के तहत शतप्रतिशत प्रतिकर की रकम के समतुल्य तोषण की राशि जोड़ते हुए, धारा 30 (3) के तहत प्रार्थी को उसकी अवाप्तशुदा भूमि पर नियमानुसार दर से ब्याज राशि का भुगतान भी किया गया है। ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष यह तथ्य उभर कर आता है कि अधीनस्थ सक्षम प्राधिकारी अतिरिक्त कलक्टर(प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा हस्तगत प्रकरण में अवार्ड नियमानुसार जारी किया जाना प्रमाणित होना पाया जाता है एवं प्रकरण में सक्षम अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार से कोई विधिक भूल/त्रुटि कारित नहीं किया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण गुणावगुण पर बलहीन होना प्रमाणित होता है।

इसके साथ ही जहाँ अपील की प्रस्तुति की मियाद का प्रश्न है प्रार्थी/अपीलांट द्वारा अपने अपील मेमों में इस तथ्य को उठाया गया है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रार्थी/अपीलांट को किसी भी प्रकार से भूमि अवाप्ति की जानकारी प्रदान नहीं की गई। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेख के अवलोकन मात्र से जाहिर होता है कि प्रकरण में प्रार्थी/अपीलांट लगातार सक्षम अधिकारी के समक्ष उपस्थित होते रहे हैं एवं दिनांक 30.10.2017 को अपीलांट स्वयं ने मार्फत अधिवक्ता उपस्थित होकर सक्षम प्राधिकारी को अपना बैंक खाते के संबंध में जानकारी प्रदान की एवं सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जो मूल अभिलेख पत्रावली में हम किता है। ऐसी स्थिति में अवार्ड की जानकारी प्रार्थी/अपीलांट को होना प्रमाणित होता है, इसके बावजूद प्रार्थी/अपीलांट द्वारा न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.03.2018 को प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। एवं प्रार्थी/अपीलांट द्वारा दिनांक

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

24.10.2017 से दिनांक 20.03.2018 तक अपील प्रस्तुत किये जाने में हुये विलम्ब के संबंध में किसी भी प्रकार का ठोस कथन एवं स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही प्रार्थी/अपीलांट द्वारा अपील मेमों के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया हैं ऐसी स्थिति में प्रार्थी अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत में हुये विलम्ब को क्षम्य किये जाने के संबंध में भी पत्रावली पर कोई ठोस आधार उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मियाद के बिन्दु पर भी पोषणीय नहीं होना जाहिर होता हैं।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर जहॉ प्रार्थी/अपीलांट प्रकरण को गुणावगुण पर पूर्ण रूप साबित कराये जाने में असफल रहे हैं एवं प्रकरण मियाद के बिन्दु पर भी पोषणीय नहीं पाया गया हैं ऐसी स्थिति में प्रकरण का मियाद एवं गुणावगुण (दोनो) पर पूर्ण रूप साबित नहीं होने से सक्षम प्राधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा हस्तगत/अपीलाधीन आराजीयात के संबंध में पारित अवार्ड विधि–सम्मत् होकर पारित अवार्ड आदेश में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं होने से प्रार्थी का आवेदन मियाद एवं गुणावगुण (दोनो) पर खारिज किया जाता हैं। अधीनस्थ सक्षम प्राधिकारी का मूल अभिलेख मय निर्णय की प्रति प्रेषित किया जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावें।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक <u>02.11.2021</u> को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(तारा चन्द मीणा)
माध्यस्थम् अधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official